कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी, करौली–322241,फोन.न.07464–297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ( )वसु/उवसं/2022–23/ 5204 दिनांकः– 10/8/2022

निमित,

अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड करौली, राजस्थान

विषयः–Diversion of 1.641 ha. Of forest land in favour of Public Work Department Karauli for Construction of Road from Approch Road SH-22 to Silpur Km 0/0 to 3/400

प्रसंगः–कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय जयपुर के पत्र क्रमांक 8 बी–राज 037/2022–JPR दिनांक 20 जुलाई 2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय जयपुर के पत्र क्रमांक 8 बी–राज 037/2022–JPR दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा उपरोक्त परियोजना में बिना वृक्षो के पातन की शर्तोधीन स्वीकृति जारी की गई है। (जिसकी छायाप्रति संलग्न है) अतः आप इसकी बिन्दुबार पालना रिपोर्ट प्रेषित करे, जिससे प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके–

1. उक्त प्रकरण में आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु राशि 4,57,285 रू0 कैम्पा फण्ड जमा की जाकर रसीद इस कार्यालय को भिजवावे एवं आगामी 10 वर्षो में दरों में परिवर्तन होने पर अधिक देय राशि को जमा कराने की अण्डर टेकिंग भी प्रस्तुत करें।
2. भारत सरकार के आदेशानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन 1.641 हैक्टर हेतु वर्तमान दर से एन.पी.वी. राशि 15,71,717 रू0 कैम्पा फण्ड जमा की जाकर रसीद इस कार्यालय को भिजवावे एवं आगामी 10 वर्षो में दरों में परिवर्तन होने पर अधिक देय राशि को जमा कराने की अण्डर टेकिंग भी प्रस्तुत करें।
3. विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे अंतिम रूप देने के बाद प्रत्यावर्तन की गई वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा युजर ऐंजेसी से वसूल की जाएगी। आप इस आशय का एक वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
4. उक्त प्रकरण के प्रत्यावर्तन हेतु आवंटित गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं रेखांकन करवाकर इस कार्याजय को भिजवावे।
5. प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि एफ.आर.ए. सर्टीफिकेट प्रस्तुत करे।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा पर सडक के दोनो तरफ युजर ऐजेन्सी अपनी लागत पर मिनारा या दीवार निर्माण कर सीमांकित करने का अण्डर टेकिंग भी प्रस्तुत करें।
8. युजर ऐजेन्सी उक्त वर्णित समस्त राशि कैम्पा फण्ड में केवल ई–पोर्टल के माध्यम से ट्रान्सफर यां डिपोजिट करे।

वन भूमि को यूजर ऐजेन्सी को सूपूर्द किये जाने के बाद निम्न शर्तो की पालना की जानी है–

1. वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है।
2. प्रत्यावर्तित वनभूमि को जिस उद्देश्य के लिए आवंटित की गई है, इसके अलावा किसी भी प्रयोग मे नही ली जावें का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
4. किसी प्रकार के वृक्षो का पातन नहीं करने का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
5. किसी प्रकार की वनस्पती व जीवो को नुकशान नहीं पहूँचाने का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
6. जो ले–आउट प्लान प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया है इसमें भारत सरकार की स्वीकृती के बिना किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
7. वनक्षेत्र में किसी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं रख जाना है, का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
8. श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद पर्याप्त जलाऊ लकडी, अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन प्रदान किया जाएगा, का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।

9. प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा पर सडक के दोनो तरफ युजर ऐजेन्सी अपनी लागत पर मिनारा या दीवार निर्माण कर सीमांकित करने का वचनबद्धता प्रस्तुत करें। 13749
10. भूमि के अन्दर निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु किसी प्रकार का नया मार्ग नही बनाना है, का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
11. इस स्वीकृति के प्रत्यावर्तन की अवधि की समय सीमा लीज की अवधि या परियोजना का समय जो भी कम हो उसके आधार पर होगी।
12. वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
13. भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित वन भूमि को किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
14. युजर एजेंसी उक्त शर्तों के संबंध में राज्य सरकार और एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को हर साल मार्च के अंत तक वार्षिक स्व–अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
15. युजर एजेंसी इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशो और एनजीटी आदेशों एवं अन्य नियम जो कुछ समय के लिए लागू हो, के सभी प्रावधानों का पालन करेगी, का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
16. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा और Moef&CC के दिशा निर्देश एफ. संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29–01–2018 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
17. कोई अन्य शर्त जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समय–समय पर वन वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के हित में निर्धारित करें उनकी पालना करनी होगी का वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
18. सभी अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी

अतः उपरोक्त सभी शर्तो की पालना कर 5 प्रति में इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे ताकि उच्च कार्यालय के मार्फत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय जयपुर को पालना प्रतिवेदन भिजवाना सम्भव हो सके जिससे अंतिम स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

क्रमांकः–एफ( )वसु/उवसं/2022–23/
दिनांकः– / /2022

प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य वन संरक्षक,भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
करौली